मांग संख्या 19

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

15 वें वित्त आयोग अंतर्गत ब्याज/ऋण अदायगी हेतु ₹ 723.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

संचालनालय स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) स्थापना के लिए परामर्श सेवाएँ मद अंतर्गत ₹ 650.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,50,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पाँस सर्विसेस योजना (ई.एम.आर.एस.) अंतर्गत 7 विश्वविद्यालय हेतु 7 अतिरिक्त 108 एंबुलेंस संचालन किये जाने हेतु ₹ 176.22 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,76,22,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4 से 5

1. 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिए 61 पदों के सृजन हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
1.	अस्पताल अधीक्षक	लेबल-13	1
2.	नेत्र रोग विशेषज्ञ	लेबल-13	4
3.	नेत्र रोग पीजीएमओ	लेबल-12	2
4.	चिकित्सा अधिकारी	लेबल-12	1
5.	नर्सिंग सिस्टर	लेबल-9	1
6.	मेडिकल रिकार्ड अधिकारी	लेबल-8	1
7.	स्टाफ नर्स	लेबल-7	25
8.	लैब टेक्नीशियन	लेबल-7	2
9.	आप्टोमेट्रिस्ट	लेबल-7	2
10.	नेत्र सहायक अधिकारी	लेबल-7	8
11.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	लेबल-7	1
12.	ओ.टी. टेक्नीशियन	लेबल-7	1
13.	स्टोरकीपर	लेबल-7	1
14.	लैब अटेण्डेंट	लेबल-4	2
15.	वाहन चालक	लेबल-4	3
16.	वार्ड ब्वाय	लेबल-1	3
17.	आया	लेबल-1	1
18.	भृत्य	लेबल-1	1
19.	धोबी	लेबल-1	1
योग			**61**

2. नवीन जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई एवं सक्ती के जिला चिकित्सालयों की स्थापना के लिए वरिष्ठ विशेषज्ञ सह अधीक्षक, वेतन मैट्रिक्स, लेवल-13 के 02 पदों के सृजन हेतु ₹ 23.00 लाख का व्यय संभावित है।

3. जिला चिकित्सालय योजनांतर्गत सामग्री आपूर्ति अंतर्गत दवाई मद में ₹ 5130.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 52,53,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

मितानिन कल्याण निधि योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मितानिनों के लिए आभार सम्मेलन हेतु ₹ 295.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,95,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7 से 8

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु ₹1111.35 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,11,35,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सामग्री आपूर्ति अंतर्गत दवाई मद में ₹ 3870.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 38,70,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

नवीन जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ-बिलाईगढ़ एवं सक्ती में खाद्य पदार्थो में मिलावट की रोकथाम योजनांतर्गत प्रत्येक जिले हेतु 01 अभिहित अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स, लेवल-12 के कुल 06 पदों के सृजन हेतु ₹ 64.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 64,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

केन्द्र प्रवर्तित योजना खाद्य पदार्थो में मिलावट की रोकथाम योजनांतर्गत MOU between FSSAI & States /UTs (2023-24 to 2025-26 Strengthening of FOOD Safety Eco-System in the Country) के अंतर्गत कार्ययोजना 2023-24 विस्तारित हेतु ₹ 399.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,99,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।